संख्या-541/2023/3559/41-2023/36(सा0)/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 04 अगस्त, 2023

विषय:-प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों (Heritage Buildings) को एडॉप्टिव रि-यूज (Adaptive Re-use) के अन्तर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-9977/15-1-1740/ट्रै0ट्रे0/2022-23**,** दिनांक 24.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों (Heritage Buildings) को एडॉप्टिव रि-यूज (Adaptive Re-use) के अन्तर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2— राज्य पुरातत्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा राजकोष में बिना कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ दिये सम्पत्तियों का रख—रखाव किया जा रहा है। यदि सरकार द्वारा इन विरासत सम्पत्तियों का इनमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकी व निर्माण सामग्रियों का प्रयोग करते हुए अनुरक्षण/संरक्षण (Maintenance/ Conservation etc.) का कार्य कराया जाता है, तो छोटे संरक्षित भवनों में न्यूनतम 10.00 करोड़ से लेकर बड़े संरक्षित भवनों में लगभग 400.00 करोड़ रूपये तक औसतन अनुमानित लागत आयेगी, एवं इसके उपरान्त भी इनके उपयोग हेतु आवर्ती लागत (Recurring Cost) अत्यन्त व्ययसाध्य एवं शासकीय बजट पर अतिरिक्त व्यय भार होगा।

3— यदि इन परिसम्पत्तियों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Re-use) के अन्तर्गत विकसित व संचालित कराया जाता है तो प्रदेश सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार नहीं आयेगा, वरन् प्रदेश सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। इस उद्देश्य से अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Re-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

use) के अन्तर्गत निजी निवेशकों द्वारा 03 श्रेणियों (श्रेणी–A, B, C) के आधार पर श्रेणी–A में रू0 100.00 करोड़, श्रेणी–B में रू0 50.00 करोड़ तथा श्रेणी–C में रू0 30.00 करोड़ का न्यूनतम निवेश अनिवार्य होगा। इस परिकल्पना से प्रदेश सरकार के 01 ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी।

4– उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश में स्थित विरासत सम्पत्तियों (ऐतिहासिक धरोहरों, किलों एवं मुख्य ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों) का संरक्षण व कायाकल्प कर अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Re-use) में लाये जाने हेतु निजी क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश के द्वारा खोले जाते हैं, तो इससे न केवल प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा, अपितु रोजगार सृजन, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, भवनों को संरक्षित किया जा सकेगा व सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

5– इन विरासत सम्पत्तियों/धरोहरों को हेरिटेज होटल, वैवाहिक पर्यटन स्थल (Wedding Tourism Destination), कार्पोरेट बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की परियोजनाओं (MICE Projects), सार्वजनिक संग्रहालय, ग्रामीण पर्यटन, होम–स्टे, थीमैटिक पार्क तथा पर्यटन हॉस्पिटेलिटी के अन्तर्गत अन्य उपयोग हेतु विकसित किया जा सकेगा। उपरोक्त परियोजनाओं के निवेशकों को राज्य पर्यटन नीति–2022 के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जायेंगे। यह निवेश घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदेश में पर्यटन गन्तव्यों के भ्रमण एवं उत्कृष्ट अनुभव हेतु प्रोत्साहित करेगा तथा पर्यटन उद्योग के उत्पादों और सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी व विरासत तथा स्मारक पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश को एक उत्कृष्ट गन्तव्य के रूप में जाना जायेगा।

6– प्रत्येक परियोजना हेतु प्रस्तुत तकनीकी आर्थिक व्यवसाय योजना (Techno Economic Business Plan) के आधार पर चयनित विरासत सम्पत्तियों के अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Re-use) निर्धारित किया जायेगा। इसके उपरान्त निजी निवेशक द्वारा परियोजना के अन्तिम उपयोग को उचित ठहराने वाले आर्थिक रूप से व्यवहार्य (Economically Feasible) प्रस्ताव निविदा मूल्यांकन समिति (Bid Evaluation Committee) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें। निविदादाता द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्य (Feasible) प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 के अनुसार अधिसूचित पर्यटन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी का हो सकता है।

7– अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Re-use) के अन्तर्गत किले परिसर, महलों, कोठी और हवेलियों आदि विरासत भवन/परिसर तथा 01 जनवरी, 1950 से पहले निर्मित अन्य प्राचीन धरोहरों/सम्पत्तियों का चयन प्रस्ताव अवस्थापना विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या–3/2018/260/83–अव0–2018–34 (अव0)/2013, दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा प्रदेश में पी0पी0पी0 परियोजनाओं के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंध में जारी ''गाइडलाइन्स फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स फॉर पी0पी0पी0 प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश–2016''(संशोधित गाइडलाइन–2018) के पैरा 2.3 पर गठित PPPBEC (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) के अनुमोदनोपरान्त एवं पी0पी0पी0 गाइडलाईन्स में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

8– उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश के पर्यटन संभावनायुक्त परन्तु वर्तमान में अनुपयोगी ऐतिहासिक धरोहरों/किलों को प्रथम चरण में निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छत्तर मंजिल परिसर, एम0जी0 रोड, कैसरबाग, लखनऊ के पत्र संख्या–1354/प्रथम–26(20)/22, दिनांक 21–12–2022 द्वारा प्रदेश में स्थित निम्नलिखित ऐतिहासिक धरोहरों/किलों को पुनः उपयोग (Adaptive Re-use)के अन्तर्गत विकसित व संचालित किये जाने हेतु संरक्षित श्रेणी से हटाया (Denotify) गया है। इन ऐतिहासिक धरोहरों एवं किलों को पर्यटन सुविधाओं से परिपूर्ण पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किये जाने हेतु संस्कृति विभाग से पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाना होगाः–

क्र0 सं0	विरासत भवन	जिला	तहसील एवं गांव	भूमि का क्षेत्रफल	संस्कृति विभाग के परिपत्र का विवरण	प्रस्तावित उपयोग
1	छत्तर मंजिल, लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ, सदर	9.88 एकड़ अनुमानित	संख्या–276/चार–2022, लखनऊ 23/01/2023	• हेरिटेज होटल • माइस एक्टिविटी सेन्टर • रिजॉर्ट • म्यूजियम • हेरिटेज रेस्टोरेण्ट/ बुटिक रेस्टोरेण्ट • बैंक्वेट हॉल • वेडिंग टूरिज्म • एडवेन्चर टूरिज्म • होम–स्टे • थीमैटिक पार्क • वेलनेस सेन्टर • अन्य टूरिज्म/ हॉस्पिटेलिटी यूनिट।
2	चुनार किला मीरजापुर	मीरजापुर	चुनार किला	21.64 एकड़ अनुमानित	संख्या–202/चार–2022, लखनऊ 23/01/2023	
3	बरूआ सागर किला, झॉसी	झॉसी	झॉसी	7.39 एकड़ अनुमानित	संख्या–279/चार–2022, लखनऊ 23/01/2023	
4	कोठी गुलिस्तां –ए–इरम, लखनऊ,	लखनऊ	लखनऊ, सदर	1.35 एकड़ अनुमानित	संख्या–277/चार–2022, लखनऊ 23/01/2023	
5	कोठी दर्शन विलास, लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ, सदर	1.35 एकड़ (गुलिस्ताने इरम कोठी सहित)	संख्या–277/चार–2022, लखनऊ 23/01/2023	
6	कोठी रोशन–उद्–दौला, लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ कैसरबाग	1.7 एकड़ अनुमानित	संख्या–285/चार–2022, लखनऊ 23/01/2023	
7	बरसाना जल महल मथुरा	मथुरा	छोटा ग्राम बरसाना	1.00 एकड़ अनुमानित	संख्या–201/चार–2022, लखनऊ 23/01/2023	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	शुक्ला तालाब, कानपुर	कानपुरदेहात	अकबरपुर	6.90 एकड़ अनुमानित	संख्या–278/चार–2022, लखनऊ 23/01/2023	
9	टिकैतराय बारादरी, बिठूर, कानपुर	कानपुर शहर	कानपुर, बिठूर	0.217 एकड़ अनुमानित	संख्या–283/चार–022, लखनऊ 23/01/2023	

9– उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तर–8 में उल्लिखित प्रदेश के प्राचीन तथा विरासत भवनों को एडाप्टिव री–यूज (Adaptive Re-use) के अन्तर्गत संबंधित विभाग से पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना एवं हस्तान्तरित होने के पश्चात सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मॉडल पर हेरिटेज होटल, रिजॉर्ट, म्यूजियम, माइस (MICE) आदि पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित व संचालित कराया जाना प्रस्तावित है।

10- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों (Heritage Buildings) को एडॉप्टिव रि-यूज (Adaptive Re-use) के अन्तर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.08.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) द्वारा प्रदेश की प्राचीन विरासतों/धरोहरों/भवन सम्पत्तियों को एडॉप्टिव रि–यूज के अन्तर्गत चयनित करने के पश्चात परियोजनाओं का निजी सहभागिता के माध्यम से विकास हेतु समुचित प्रस्ताव (RFQ Documents) तैयार कर उक्त पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन के माध्यम से निजी निवेशकों के मध्य खुली निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर किया जायेगा:–

- उपरोक्त निविदा प्रक्रिया और लागत प्रणाली (Quality & Cost Based Selection-QCBS) के आधार पर निर्णित की जायेगी।
- प्रत्येक परियोजना हेतु सफल निविदादाता का चयन गुणवत्ता और लागत प्रणाली (Quality & Cost based Selection-QCBS) के आधार पर किया जायेगा, जिसमें निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत एवं वित्तीय निविदा में प्राप्त अंकों का 20 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा।
- तकनीकी मूल्यांकन:– निविदादाता के प्रस्ताव एवं कंसेंशियल्स का मूल्यांकन (क) पात्रता मापदण्ड (Eligibility Criteria) और (ख) तकनीकी योग्यता (Technical Qualification) के आधार पर किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

- तकनीकी निविदा में 50 या 50 से अधिक अंक पाने वाली विकासकर्ता फर्म/निविदादाता ही वित्तीय निविदा हेतु अर्ह होंगे।
- वित्तीय निविदा आरक्षित मूल्य (Reserve Value) के आधार पर होगी।
- आरक्षित मूल्य न्यूनतम वार्षिक शुल्क (Annual Concession Fee)होगा। चयनित हेरिटेज परियोजना एवं उससे जुड़ी भूमि का आरक्षित मूल्य (Reserve Value) मध्य प्रदेश की हेरिटेज पर्यटन नीति के प्राविधानों के अनुसार रू0 1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) होगा।
- निविदा के माध्यम से चयनित विकासकर्ता द्वारा कोई अग्रिम अधिशुल्क (Upfront Premium) देय नहीं होगा।
- उक्त परियोजनाओं हेतु चयनित सम्पत्तियों को प्रथमतया 30 वर्षों की अवधि हेतु लीज पर दिया जायेगा। जिसको पुनः आगामी 30–30 वर्षों के लिये दो बार नवीनीकरण किया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 90 वर्ष होगी। इस प्रकार 30 वर्षों की लीज अवधि के दौरान विकासकर्ता के संतोषजनक प्रदर्शन पर पर्यटन विभाग द्वारा परस्पर सहमति से लीज अवधि पुनः 30 वर्षों के लिये बढ़ाई जायेगी अर्थात् चयनित विकासकर्ता एवं विभाग के मध्य 30 वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित लीज अनुबंध को पुनः 30 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रथम अधिकार (First Right to Refusal) विकासकर्ता को प्रदान किया जायेगा।
- निविदा के माध्यम से अन्तिम रूप से निर्धारित वार्षिक कन्सेशन शुल्क (Annual Concession Fee) में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी एवं कुल व्यवसाय की 01 प्रतिशत धनराशि रेवन्यू शेयरिंग (Revenue Sharing) मॉडल पर विकासकर्ता द्वारा देय होगी।
- राज्य सरकार के अधीन लगभग पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त (75% से अधिक क्षतिपूर्ण) के ऐतिहासिक धरोहरों/किलों की भूमि को तत्समय प्रचलित कलेक्टरगाइडलाइन दरों (सर्किल दरों) पर 90 वर्ष के पट्टे (Lease) पर आवंटित की जायेगी।
- इस प्रकार प्रदेश की ऐसी विरासत सम्पत्तियाँ, जिनके भवन पूर्ण रूप से अथवा 75 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उन परिसम्पत्तियों को 90 वर्ष के पट्टे (Lease) पर आवंटित किया जायेगा, जिसका लीज रेन्ट तत्समय प्रचलित कलेक्टरगाइडलाइन दरों (सर्किल दरों) के अनुसार निर्धारित प्रीमियम का 01 प्रतिशत होगा, जो 30 वर्ष की अवधि के उपरान्त 06 गुना बढ़ जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- चयनित विकासकर्ता द्वारा हेरिटेज परिसम्पत्तियों को विभाग द्वारा अनुमोदित बिजनेस प्लान के अनुरूप हेरिटेज होटल, माइस एक्टिविटी सेन्टर, रिजॉर्ट, म्यूजियम, हेरिटेज रेस्टोरेण्ट/बुटिक रेस्टोरेण्ट, बैंक्वेट हॉल, वेडिंग टूरिज्म, एडवेन्चर टूरिज्म, होम–स्टे, थीमैटिक पार्क, वेलनेस सेन्टर, अन्य टूरिज्म/ हॉस्पिटेलिटी यूनिट के रूप में विकसित किया जायेगा।
- चयनित विकासकर्ता द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों/किलों की मूल स्थापत्य कला को क्षीर्ण किये बिना स्मारक के मौलिक स्वरूप को यथावत् रखते हुए विकास कार्य कराये जायेगें तथा परिसम्पत्ति क्षेत्र के स्थित भूमि पर भवन उप नियम (Building Bylaws) के अनुसार नवीन भवनों का इस प्रकार से विकास कार्य कराये जायेगें, जिससे परिसम्पत्तियों के वाह्य परिदृश्य प्रभावित न हो।

(ख) उपरोक्त प्रस्तर–10 की तालिका में अंकित 09 परिसम्पत्तियों को 03 श्रेणी (श्रेणी–A, B, C) में विभाजित किया जायेगा। उपरोक्त परिसम्पत्तियों हेतु चयनित विकासकर्ताओं द्वारा श्रेणीवार किया जाना वाला निवेश निम्नवत् तालिकानुसार होगाः–

क्र.सं	श्रेणी	विरासत भवन का नाम		प्रस्तावित अनुमानित निवेश धनराशि (करोड़ में)
1.	A	1.	छत्तर मंजिल, लखनऊ	100.00
		2.	चुनार किला मीरजापुर	
		3.	बरूआ सागर किला, झॉसी	
2.	B	1.	कोठी गुलिस्तां –ए–इरम, लखनऊ,	50.00
		2.	कोठी दर्शन विलास, लखनऊ	
		3.	कोठी रोशन– उद्–दौला, लखनऊ	
3.	C	1.	बरसाना जल महल मथुरा	30.00
		2.	शुक्ला तालाब, कानपुर	
		3.	टिकैतराय बारादरी, बिठूर, कानपुर	

(ग) प्रथम चरण में प्रस्तर–8 में उल्लिखित प्रदेश के नौ ऐतिहासिक धरोहरों/किलों को अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Re-use) के अन्तर्गत सांस्कृतिक संरक्षण एवं पर्यटन की दृष्टि से पी0पी0पी0 नीति के अन्तर्गत विकसित किये जाने हेतु संस्कृति विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा।

(घ) उपरोक्त प्रस्तर–10 (क) की प्रक्रिया अनुसार प्रस्तर–10 में उल्लिखित प्रदेश के प्राचीन भवनों/किलों/ऐतिहासिक इमारतों को एडाप्टिव री–यूज (Adaptive Re-use)के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मॉडल पर हेरिटेज होटल, रिजॉर्ट, म्यूजियम, माइस (MICE) आदि पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ड.) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

11- उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा :-

''राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा। प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों को एडॉप्टिव रि-यूज के अन्तर्गत परिसर/धरोहर को समकालीन वास्तुशिल्प के आधार पर विकसित कराया जायेगा तथा परियोजना के विकास हेतु पी0पी0पी0 गाइडलाइन्स-2016 (यथासंशोधित-2018) में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।''

अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
5. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,** संस्कृति विभाग/वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in